लक्ष्य 11 शहरों और मानव बस्तियों के समावेशी, सुरक्षित, समुत्थान और संधारणीय बनाना

2030 तक	
11.1	सब के लिए पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान, और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा झुग्गी बस्तियों का विकास
11.2	सबके लिए सुरक्षित तथा सुलभ और संधारणीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना, ताकि सड़क सुरक्षा बढ़े और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो तथा कमजोर तबके, महिलाओं, बच्चों, अशक्तों और वृद्धों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
11.3	समावेशी तथा संधारणीय और शहरीकरण तथा क्षमता में वृद्धि ताकि सभी देशों में सहभागितापूर्ण, एकीकरण एवं संधारणीय मानव पुनर्वास प्लान और व प्रबंधन हो सके।
11.4	विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिकदायों की संरक्षा और सुरक्षा के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण।
11.5	मौतों की संख्या काफी कम करना तथा जल आपदाओं सहित अन्य आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद को होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या मे कमी करना जिससे कमजोर परिस्थितियों में रह रहे गरीबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया हो।
11.6	नगरों के प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना जिस में वायु की गुंणवत्ता और नगरपालिका तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शामिल है।
11.7	खासकर महिलाओ, बच्चों, वृद्धों ओर अशक्तों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुगम , हरित तथा सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।
11.क	शहरी, अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो के बीच सकारात्मक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लिंक को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास आयोजना का सशक्तीकरण।
11.ख	नगरों तथा मानवबस्तियों की संख्या मे वृद्धि के लिए एकीकृत नीतियों और समावेशन, संसाधन दक्षता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन हेतु योजनाओं का अंगीकरण और कार्यान्वयन जो सभी स्तरो पर आगामी फ्रेमवर्कसमग्र आपदा जोखिम प्रबंधन के अनुरूप हो।
11.ग	स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर संधारणीयय और मजबूत भवनों के निर्माण में सबसे कम विकसित देशों को समर्थन जिनमे वित्तीय तथा तकनीकी सहायता शामिल है।

11

शहरों और मानव बस्तियों के समावेशी, सुरक्षित, समुत्थान और संधारणीय बनाना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. राजीवआवास योजना (साथ में BSUP & IHSDP) 2. इंदिरा आवास योजना (IAY) 3. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) 4. नेशनल प्रोग्राम फॉर परसन्स विद डिसाबलिटीज 5. जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन (JNNURM) (ACA)	1. स्मार्ट सिटी मिशन (Core) 2. प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास-2022) (Core) 3. अटल मिशन जीर्णोद्धार एवं शहरी परिवर्तन (AMRUT) (Core) 4. हेरीटेज सिटी डेवलेपमेंट एण्ड ऑकमेंटेशन योजना (HRIDAY)	लक्ष्य 11.1	आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शहरी विकास
		लक्ष्य 11.2	सड़क परिवहन एवं हाईवे, रेलवे
		लक्ष्य 11.3	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन
		लक्ष्य 11.4	संस्कृति मंत्रालय
		लक्ष्य 11.5	गृह मंत्रालय
		लक्ष्य 11.6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
		लक्ष्य 11.7	शहरी विकास मंत्रालय
		लक्ष्य 11.क	शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज
		लक्ष्य 11.ख	शहरी विकास मंत्रालय
		लक्ष्य 11.ग	वित्त, विदेश मंत्रालय

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mappingo80616-DG_0.pdf

खामियां और चुनौतियां

जनगणना 2011 के अनुसार, शहरी क्षेत्र में 31 प्रतिशत आबादी (377.1m) रहती है और वर्ष 2030 तक यह 40 प्रतिशत हो जाएगी। आजीविका की तलाश में शहरो की ओर पलायन की वजह से यह दर 31.8 प्रतिशत है। पिछले दशक में (2001 से 2011) आबादी और शहरों की संख्या बढ़ी (35 से 53), 4041 वैधानिक कसबों में 13.65 मिलियन स्लम आवास रिपोर्ट किए गए। पहले जो आवास 10.2 मिलियन आवासों में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012) आवासों की कमी 18.78 मिलियन ईकाई थी, 96 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं कम आय वर्ग में आते हैं। देश के शहरी क्षेत्रों बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है जैसे पेय जल, सीवर सिस्टम, स्वच्छता सुविधाएं, बिजली, सड़क और ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या। (MHUPA, 2014-15). हाईपॉवर एक्सपर्ट कमिटी (2011) की रिपोर्ट के अनुसार शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े स्तर पर कमियां हैं। अगले 20 वर्षों में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 39 बिलियन रूपयों की जरूरतर है। (39 लाख करोड़ रुपये मूल्य वर्ष 2009–10 में)।

शहरों में गरीबों के इलाके में मुख्य समस्या पानी की सप्लाई की व्यवस्था न होना, सीवर न होना, सेवाओं की उन तक पहुंच न होना है। इस प्रकार, इस तरह की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए लोगों की पूरी भागीदारी जरूरी है तभी वे एक सतत स्थायी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। (Sridhar n.d.).

शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रचर की सुविधाएं देने के लिए पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस दिशा में विभिन्न प्रोजेक्ट काम कर रही हैं। पीपीपी में गरीबों के लिए भी प्रावधान सुनिश्चत किए गए हैं। पर इसके प्रयास संतोषजनक नहीं हैं। विश्व बैंक को भी अपनी विश्वविकास रिपोर्ट 2004 में यह कहना पड़ा कि ''यह गलत होगा कि सरकार सब कुछ निजी क्षेत्र (पीपीपी) पर छोड़ दे – खसकर गरीबों तक पहुंच। ("WDR 2004" 10). भारत में कुछ प्राईवेट क्षेत्र (पीपीपी) ने अच्छा नहीं किया है वे अब भी चल रही हैं। उन्हें सरकार से फड की जरूरत है।

'

सुझाओ

1. स्वस्थ पर्यावरण और समुदायों के लाभ के लिए कार्यक्रमों की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के लिए वास्तविक समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी साझेदारी सुनिश्चत करें।
2. कमजोर समुदायों के लिए तथा हाशिए के लोगों के लिए विभिन्न कानूनों एवं प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए। कमजोर समुदायों की प्रशासनिक तंत्र तक पहुंच आसान हो।
3. सहभागी सर्वे द्वारा आवास जो किफायती, रहने योग्य आश्रय हो आपके काम के स्थान के नजदीक हो उस का चयन करें यह ऑनलाईन राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक प्रबंध करें।
4. लोगों को नवीन घर प्रदान करें और 'अवैध' किन्तु किफायती और रहने योग्य घर को नियमित करें।
5. सार्वभौमिक एवं समान कल्याणकारी सेवांओं तक पहुंच बिना निजीकरण के राज्य द्वारा प्रदान हों।
6. गरीब लोगों की आजीविका एवं आश्रय के प्रावधानों को पर्यावरणीय लाभ सहित चिन्हित करें।
7. मोहल्ला (5000 आबादी वाला) स्तर पर प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए और वैकल्पिक प्लानिंग के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाए।
8. प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए मौजदा सहभागी पारदर्शी कानून और मीडिया के उपयोग से सोशल ऑडिट किया जाए।
9. शहरी एवं ग्रामीण आजीविका के बीच लिंक बनाएं स्वैच्छिक प्रवास के लिए एकीकृत रोजागार की प्लानिंग एवं प्रावधान करें।